

सं0सं0- 10/वृ0आ0गृ0-02/2019.....102

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण निदेशालय)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर, भा०प्र०से०

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 07.08.2021

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना अन्तर्गत 200 आवासन क्षमता वाले नवनिर्मित/निर्माणाधीन कुल- 07 वृहद आश्रय गृह में कैपस ड्रेनेज कार्य हेतु कुल रु० 8,47,35,000- (आठ करोड सैंतालीस लाख पैंतीस हजार) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना अन्तर्गत राज्य में शिशु/बालक/बालिका के सुरक्षित आवासन एवं पुनर्वास हेतु 200 आवासन क्षमतावाले कुल 12 जिलों में वृहद आश्रय गृह का निर्माण की स्वीकृति विभागीय पत्रांक-07 दिनांक-31.01.2020 के द्वारा प्रदान की गयी है।

इस क्रम में मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना अन्तर्गत 200 आवासन क्षमता वाले नवनिर्मित/निर्माणाधीन कुल- 07 वृहद आश्रय गृह यथा- 'कटिहार', कैमूर, पश्चिम चम्पारण (बेतिया), मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना एवं सुपौल में नवनिर्मित/निर्माणाधीन वृहद आश्रय गृह परिसर में हो रहे जल जमाव की समस्या को दूर करने हेतु कैपस ड्रेनेज कार्य के लिए मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक- 3361 दिनांक-07.10.2023, पत्रांक- 3738 दिनांक- 31.10.2023, पत्रांक- 4139 दिनांक- 05.12.2023 एवं पत्रांक- 4147 दिनांक- 06.12.2023 से प्राप्त अलग-अलग तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन का समेकित रूप से कुल प्राक्कलित राशि रु० 8,47,35,000- (आठ करोड सैंतालीस लाख पैंतीस हजार) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए प्रशासनिक स्वीकृति की माँग की गयी है।

उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 अन्तर्गत कुल- 07 वृहद आश्रय गृह में कैपस ड्रेनेज कार्य हेतु कुल रु० 8,47,35,000- (आठ करोड सैंतालीस लाख पैंतीस हजार) मात्र के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

(राशि रुपये में)

क्र०	वृहद आश्रय गृह का नाम	भवन निर्माण निगम लि० का पत्रांक दिनांक	स्वीकृत राशि
1	कैमूर,	पत्रांक- 3738 दिनांक- 31.10.2023	275.51
2	कटिहार	पत्रांक- 3361 दिनांक-07.10.2023	86.47
3	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)		119.84
4	मुजफ्फरपुर		125.50
5	सुपौल		69.39
6	पटना	पत्रांक- 4147 दिनांक- 06.12.2023	69.51
7	दरभंगा	पत्रांक-4139 दिनांक- 05.12.2023	101.13
कुल योग			847.35

2. स्वीकृत राशि की निकासी माँग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पुँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-02- समाज कल्याण, लघु शीर्ष-051- निर्माण, उप शीर्ष- 0104- समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न भवनों का निर्माण, विपत्र कोड- 03-4235020510104 के विषय शीर्ष- 0104-5301 मुख्य निर्माण कार्य के अधीन विकलनीय होगा।
3. स्वीकृत राशि का आवंटन सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमंडल को प्रदान किया जायेगा। आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिर्दिष्ट/प्राधिकृत कार्यापालक अभियंता, भवन प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार संबंधित कोषागार से की जायेगी।
4. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक- 17.04.1998, 2398 दिनांक- 08.04.2008, 12888 दिनांक-03.12.2024, पत्रांक-227/वि0 दिनांक-28.03.2025 तथा बिहार पी०डब्लू०डी० संहिता के प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
5. प्रस्ताव पर संचिका सं०- 10/वृ०आ०गृ०-02/2019 में दिनांक 10.07.2025 को विभागीय स्थायी वित्त समिति की स्वीकृति प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं०- 10/वृ०आ०गृ०-02/2019 के टिप्पणी पृ०- संख्या- 94/टि० पर दिनांक- 24.07.2025 को माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
7. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या- 10/वृ०आ०गृ०-02/2019 के टिप्पणी पृष्ठ- 96/टि० पर दिनांक- 01.08.2025 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
10. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं०- 10/वृ०आ०गृ०-02/2019 के टिप्पणी पृ०- संख्या- 97/टि० पर दिनांक- 06.08.2025 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरांत निर्गत की जा रही है।
11. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार (ले० एवं ह०) से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(योगेश कुमार सागर)

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- 10/वृ०आ०गृ०-02/2019...102... दिनांक 07.08.2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/ संयुक्त सचिव, योजना एवं बजट शाखा, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- 10/वृ०आ०गृ०-02/2019...102... दिनांक 07.08.2025

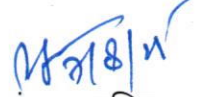
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विश्वेश्वरैया भवन/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- 10/वृ0आ0गृ0-02/2019.....102... दिनांक 07.08.2025

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, समाज कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।